न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 19/2023

धर्मपाल पुत्र स्व0 गोमाराम जाति जाट, निवासी चैनपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट्स—

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल प्रकरण संख्या 14/2022 निर्णय दिनांक 03.01.2023 व 13.01.2023

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट.............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता............रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 29.1.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पक्की दिवार बनाकर अतिक्रमण करने बाबत अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया तथा दिनांक 03.01.2023 को आलौच्य निर्णय पारित कर अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये तथा उक्त आलौच्य आदेश की पालना में दिनांक 13.01.2023 को अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में निर्मित पक्की दिवार को तोड़ दिया। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 56 रकबा .05 हैक्टर भूमि में से .01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखली की कार्यवाही की गई है। जबकि अपीलान्ट अपनी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 55 व 57 में मकान बनाकर आबाद है। अपीलान्ट के अपनी काश्त की भूमि में आबाद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध अ0धारा 91 भू—राजस्व अधि0 के तहत कार्यवाही की है जबकि काश्त की भूमि पर आबाद व्यक्ति के खिलाफ उक्त धारा के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। इसके अलावा प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से उक्त निर्माण किये गये मकान में आबाद है स्वयं ने कोई निर्माण कार्य नही किया है। अतः अपीलान्ट के विरूद्ध अ0धारा 91 भू—राजस्व अधि0 के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलान्ट को जब नोटिस प्राप्त हुआ तो अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सीमाज्ञान व नपती करवाने [illegible] निवेदन किया था लेकिन अपीलार्थी के निवेदन को नजरअदांज कर [illegible] पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरपंच ग्राम पंचायत लादूसर से सां[illegible]कर उक्त निर्णय पारित किया है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.01.31 11:03:57 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय को निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया है तथा काश्त की भूमि पर आबाद अपीलान्ट के खिलाफ अ0धारा 91 भू–राजस्व अधि0 के तहत कार्यवाही कर अपीलार्थी के पक्के निर्माण को तोड़ा गया है। अन्त में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.01.2023 अपास्त करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। इसके अलावा मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पुत्र द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस प्राप्त किया गया है जो कि अपीलान्ट के शामलात में रहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में खारिज किये जाने योग्य पाते है तथा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 14/2022 निर्णय दिनांक 3.01.2023 तथा पालना दिनांक 13.01.2023 को यथावत रखा जाता है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की प्रति के अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.01.31 11:03:57 IST
Reason: SelfAttested